दिनांक 10-4-

11/02/20

वकील वादी उपा वादी स्वयं उपा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहते है। वादी ने अपना वाद प्रारंभिक विरोध खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहते है अतः वादी का वाद प्रारंभिक विरोध खारिज किया जाता है पत्रावली मय कुमार तोड़ दायिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Not press

अति राजपत्रित

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.13 15:44:47 IST
Reason: SelfAttested